बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट आवंटन–19 / 2014–270 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 24-03-2015

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषयः **वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना अंतर्गत दलहन उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त दलहन क्षेत्र आच्छादन हेतु 989.88 लाख (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार) रूपये की लागत से दलहनी फसलों (मसूर, चना एवं गरमा मूंग) का प्रत्यक्षण एवं अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन कुल 989.88 (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार) लाख रूपये की निकासी एंव व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु केन्द्रांश मद में ₹9,89,88,000 (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार रू०) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–रा०खा०सु०मि०को०–37 / 2012 (पार्ट–III) –58 दिनांक–20.03.2015 द्वारा वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना अंतर्गत दलहन उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त दलहन क्षेत्र आच्छादन हेतु 989.88 लाख (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार) रूपये की लागत से दलहनी फसलों (मसूर, चना एवं गरमा मूंग) का प्रत्यक्षण एवं अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन कुल 989.88 (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार) लाख रूपये की निकासी एंव व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु केन्द्रांश मद में ₹9,89,88,000 (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹9,89,88,000 (नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार रू०) की निकासी केन्द्रांश मद में बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–102–खाद्यान्नों की फसलें –मांग सं०–1–उपशीर्ष– 0201–राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड–P2401001020201, के अतर्गत विषयशीर्ष–3106 सहायक अनुदान –वेतनादि के अलावा मद मे उपबंधित ₹94,78,93,000 रूपये (चौरानवे करोड़ अठहत्तर लाख तिरानवे हजार रूपये) से वित्तीय वर्ष 2014–15 में की जाएगी।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि०(2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–6720 वि० (2) दिनांक– 25.07.2014के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-25-12-2014.doc

ज्ञापांक 270(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 24-03-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक 270(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 24-03-2015

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०, सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/ नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

24/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-25-12-2014.doc